

all Central laws relating to sugar and sugarcane, Excise duty, etc. which are at present being applied to vacuum-pan sugar factories would become applicable to such units also. Considering the small capacity of Khandsari units, the application of these regulations would make them unviable.

(f) and (g) The present policy of licensing of sugar mills, including the option of delicensing, is under examination.

अल्पसंख्यकों संबंधी गोपाल सिंह पैनल कमेटी

* 569. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अ पसंख्यकों संबंधी गोपाल सिंह कमेटी की सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० बी० तंकाकालू) : (क) अल्पसंख्यकों संबंधी पैनल की रिपोर्ट सहित दिनांक 24 अगस्त 1990 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण में सरकार ने अल्पसंख्यकों के संबंध में डा० गोपाल सिंह पैनल की सिफारिशों के प्रति अपना दृष्टिकोण विनिर्दिष्ट किया है।

गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात अनेक परिवर्तन हुए हैं जिनका अल्पसंख्यकों के विकास पर प्रभाव पड़ा है और इन्हीं बातों पर गोपाल सिंह पैनल की रिपोर्ट में बल दिया गया था जो निम्न प्रकार है :-

1. अल्पसंख्यक आयोग का सांविधिक दर्जा : अल्पसंख्यक आयोग जिसकी स्थापना मौलिक रूप से जनवरी 1978 में अल्पसंख्यकों के हितों के प्रहरी रूप में कार्य

करने हेतु की गई थी, को राष्ट्रीय अल्प-संख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

2. शिक्षा/तकनीकी शिक्षा : शिक्षा विभाग ने मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना शुरू की है ताकि परम्परागत संस्थानों अर्थात् मदरसों/मकाबों में विज्ञान गणित, समाज अध्ययन और भाषाओं की पढाई शुरू की जा सके।

शिक्षा विभाग ने भी शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी एक योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य उन शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधार भूत शैक्षणिक अवसरचना एवं सुविधा प्रदान करना है जहाँ प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

भारत सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को 5 करोड़ रुपए सहायता अनुदान उपलब्ध कराया है ताकि यह समाज के शैक्षिक और अधिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच शिक्षा को बढ़ावा दे सके।

अल्पसंख्यकों के लिए सुसंगत उपर्युक्त प्रौद्योगिकीयों और कौशलों में तकनीकी शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में कम्युनिटी पोलिटेक्निक्स औफ एक्सटेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। कम्युनिटी पोलिटेक्निक्स योजना के तहत सभी 41 अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों को शामिल किया गया है।

3. परीक्षा पूर्व कोचिंग : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 51 केंद्रों (20 विश्वविद्यालयों और 32 महाविद्यालयों) के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों के लिए एक कोचिंग योजना चला रहा

है ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार तैयार किए जा सकें।

कल्पण मंत्रालय में आर्थिक मानदंड पर आधारित अल्पसंख्यकों सहित कमज़ोर बर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग/प्रशिक्षण संबंधी एक नई योजना शुरू की है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1994-95 के बजट में 3 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

4. सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बर्गों के लिए आरक्षण : अल्पसंख्यकों के पिछड़े बर्ग जिनका भारत सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े बर्गों की सूची में उल्लेख है, ऐसे आरक्षण के लिए अन्य पिछड़े बर्ग के उम्मीदवारों के समान पात्र होंगे।

5. चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ; सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश दिए हैं कि जहां कहीं भी समूह ग्राम्यवासी समूह व में 10 अथवा अधिक रिकितयों के लिए भर्ती करने हेतु चयन समितियां विद्यमान हों अथवा गठित की जानी हों, ऐसी समितियों/बोर्डों में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय का एक सदस्य रखा जाना अनिवार्य होगा। तथापि, जहां कहीं चयन किए जाने वाली यित्त पदों की संख्या 10 से कम हो तो ऐसी स्थिति में इन समितियों/बोर्डों में एक अधिकारी शामिल किए जाने हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(ख) (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम : अल्पसंख्यकों के बीच कमज़ोर बर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत अशपूँजी से एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम चालू वर्ष के दौरान कार्य करना शुरू कर देगा। इसकी रूपरेखा तय की जा रही है।

(2) अल्पसंख्यकों को कष्टदायक चिन्ताओं और समस्याओं पर पूर्णरूप से

ध्यान केंद्रित करने तथा इस कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूची कार्यक्रम को नया रूप दिया जा रहा है।

Supply of Unhygienic milk products

*570. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item which appeared in the Hindustan Times dated the 16th April, 1994 captioned "Ministries row hits milk supply/milk products" stating that unhygienic products are flooding the market, particularly by dairies in the private sector, who are against delegating powers to the National Dairy Development Board for milk supply;

(b) if so, the details thereof indicating what action Government have taken against the bureaucratic wranglings between the Ministries of Agriculture and Food Processing industries which have rendered the MMPO (Milk and Milk Products Order) dated the 9th June, 1992 issued under the provision of Section 3 of the Essential Commodities Act almost ineffective/difficult to implement;

(c) whether Government have so far been able to solve the reported row over the implementation responsibility of MMPO and to ensure the availability of good quality of milk at reasonable prices to the general public particularly in the milk deficit areas; and

(d) if not, the reasons therefor and the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). There is no dispute between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Food Processing Industries with regard to the implementation of the Milk and milk Product Order, 1992.